निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
91/2022	31.01.22	04.07.24

1. ओम सिंह जाट पुत्र करण सिंह आयु 28 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी — प्रार्थी

बनाम

1. कर्ण सिंह उर्फ करण सिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
2. सूरजमल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर।

— अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल आर एक्ट</u>

उपस्थित :— श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 14 खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम रायपुर के पटवार हल्का रायपुर तथा भू0 अभि0 निरीक्षक क्षेत्र रायपुर में स्थित है जिसको प्रार्थी कब्जा काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध वास्ता उक्त कृषि भूमि से नहीं है। खसरा नंबर 814 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0 मु0 चाह व खसरा नंबर 815 उक्त खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 के पिछोरे में साबिक नक्शा सीट में दर्ज है जो सही है। प्रार्थी का खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 तथा अप्रार्थीगण का खसरा नंबर 814 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0 मै0 चाह में अप्रार्थीगण संख्या 01 व 2 का हिस्सा 1/2, प्रत्येक का दर्ज है जो साबिक नक्शा सीट में सही जगह पर दर्ज है। उक्त कृषि भूमि मुताबिक नक्शा सीट साबिक नक्शे में खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 दर्ज है जो सही है परंतु राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सेगरीगेशन के पश्चात् जो कम्प्यूटराइज्ड नक्शा सीट तैयार की गई है उसमें लिपकीय त्रुटि टंकन की कमी से खसरा नंबर 781 में ही एक विभाजन रेखा खीचकर खसरा नंबर 814 कायम कर दिया गया है जो गलत है तथा खसरा नंबर 815 व खसरा नंबर 814 को मिलाकर एक ही खसरा नंबर 815 सेगरीगेशन के पश्चात् दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। प्रार्थी को वर्तमान कम्प्यूटराइज्ड नक्शा सीट में त्रुटि की पूर्व कोई जानकारी नहीं रही है, इसके लिए प्रार्थी ने दिनांक 24.01.2022 को कम्प्यूटराइज्ड नक्शा सीट निकलवाने से हुई है। प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश किया है जिसमें तहसीलदार वजीरपुर आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्तमान खसरा नंबर 814 व खसरा नंबर 815 को साबिक नक्शा सीट के मुताबिक दर्ज किया जावे तथा टंकन व राजस्व कर्मचारियों की भूल से कम्प्यूटराइज्ड वर्तमान नक्शा सीट में से खसरा नंबर 814 रकबा 0.02 है0 को

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

हटाकर साबिक नक्शा सीट के मुताबिक खसरा नंबर 815 के साथ साबिक नक्शे के मुताबिक दर्ज किया जावे तथा खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 में से विभाजन रेखा को हटाकर एक ही खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 मुताबिक साबिक नक्शा सीट के शुद्धि करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संबत् 2076–2079 खाता संख्या 19, जमाबंदी संबत् 2076–2079 खाता संख्या 303 की प्रति, सेग्रीगेशन से पूर्व की नक्शा शीट की प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 03 तहसीलदार के अलावा और कोई उपस्थित नहीं हुआ। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक 544 दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम रायपुर के आराजी खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 किस्म चाही 2, खसरा नंबर 815 रकबा 0.02 है0 किस्म चाही 1 की खातेदारी ओमसिंह पुत्र कर्णसिंह उर्फ श्री चन्द हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार एवं खसरा नंबर 814 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह की खातेदारी कर्णसिंह पुत्र श्रीचन्द हिस्सा 1/2 सूरजमल पुत्र श्रीचन्द हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम मुताबिक जमाबंदी संवत् 2076–79 में दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम रायपुर के आराजी खसरा नंबर 781, 814, 815 की मूल लट्ठा शीट एवं ऑनलाइन शीट का मिलान करने पर पाया गया कि लट्ठा शीट एवं ऑनलाइन नक्शा शीट में भिन्नता है, नजरी नक्शा संलग्न है। मूल लट्ठा शीट से ऑनलाइन लट्ठाशीट में भिन्नता है जो दौराने सेग्रीग्रेशन हुई है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन लट्ठाशीट को मूल लट्ठाशीट के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है, जमाबंदी में अंकन सही है। ऐसी स्थिति में जमाबंदी में कोई परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी लैण्ड होल्डर ने पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व उसमे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर की कम्प्यूटराइज्ड वर्तमान नक्शा सीट में से खसरा नंबर 814 रकबा 0.02 है0 को हटाकर मूल लट्ठाशीट के मुताबिक खसरा नंबर 815 के साथ दर्ज किया जाना उचित है तथा खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 में से विभाजन रेखा को हटाकर एक ही खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 मुताबिक मूल लट्ठाशीट में शुद्धि करना उचित प्रतीत होता है।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 131 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर की कम्प्यूटराइज्ड वर्तमान नक्शा सीट में से खसरा नंबर 814 रकबा 0.02 है0 को हटाकर मूल लट्ठाशीट के मुताबिक खसरा नंबर 815 के साथ दर्ज किया जावे तथा खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 में से विभाजन रेखा को हटाकर एक ही खसरा नंबर 781 रकबा 0.45 है0 मुताबिक मूल लट्ठाशीट के शुद्धि करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनूप सिंह)
उपजिला कलेक्टर
वजीरपुर